दिनांक 20.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 33/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजीपुर/थाना बरेसर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.03.2025 की रात्रि थाना बरेसर व थाना करीमुद्दीनपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिपाह पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त महावीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना करीमुद्दीन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बरेसर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महावीर निवासी ग्राम गन्धपा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद पीलीभीत/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये पीली धातु के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 20.03.2025 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–हरीश 2–कमलेश 3–सजल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये पीली धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरीश निवासी भिण्डारा थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत।

2–कमलेश निवासी ग्राम सैजना ग्रीन थाना खटीमा जनपद उधमसिंह नगर , उत्तराखण्ड।

3–सजल निवासी मोहल्ला शेख चांद थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1–लूटे गये पीली धातु के आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि।

जनपद बरेली/थाना कैन्ट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **37 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 19.03.2025 की रात्रि थाना कैन्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णा कालोनी के पास खण्डहर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 06 अभियुक्तों 1–राजेश 2–राजेन्द्र उर्फ चिरकुण्डा 3–आकाश 4–अभिषेक 5–अक्षय 6–प्रेम कच्छू उर्फ किच्छू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 37 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कैन्ट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश निवासी कालीबाडी थाना बारादरी जनपद बरेली।

2–राजेन्द्र उर्फ चिरकुण्डा निवासी कालीबाडी थाना बारादरी जनपद बरेली।

3–आकाश निवासी कालीबाडी थाना बारादरी जनपद बरेली।

4–अभिषेक निवासी हाथाफाल्तून कालीबाड़ी थाना बारादरी जनपद बरेली।

5–अक्षय निवासी काली बाडी फाल्तूगंज थाना बारादरी जनपद बरेली।

6–प्रेम कच्छू उर्फ किच्छू निवासी काली बाडी फाल्तूगंज थाना बारादरी जनपद बरेली।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–37 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–02

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 दो पहिया वाहन**
- **01 फर्जी नम्बर प्लेट**
- **चोरी का 01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनॉकः 20.03.2025 को थाना फेस–02 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–82 कट से भंगेल की तरफ जाने वाले अस्थायी कच्चे मार्ग के पास से 03 अभियुक्तों 1–सतवीर उर्फ सोनू 2–पुष्पेन्द्र उर्फ मिन्टू 3–कमल उर्फ कोमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 दो पहिया वाहन, 01 फर्जी नम्बर प्लेट, चोरी का 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सतवीर उर्फ सोनू व पुष्पेन्द्र उर्फ मिन्टू के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07–07 अभियोग, अभियुक्त कमल उर्फ कोमल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–02 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतवीर उर्फ सोनू निवासी गांव घाटौली अरैड़ा थाना झज्जर जनपद झज्जर, हरियाणा हालपता– ग्राम भंगेल थाना फेस–02 गौतमबुद्धनगर।

2–पुष्पेन्द्र उर्फ मिन्टू निवासी गांव लीमपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर हालपता– ग्राम छपरौला थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

3–कमल उर्फ कोमल निवासी ग्राम छतंगा खुर्द थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 15 दो पहिया वाहन।

2–01 फर्जी नम्बर प्लेट।

3–चोरी का 01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद चन्दौली/थाना सैयदराजा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 टेलर ट्रक वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 20.03.2025 को थाना सैयदराजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच–02 ग्राम जेठमलपुर तिराहा से अभियुक्त जुगराज सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 टेलर ट्रक वाहन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जुगराज सिंह निवासी ग्राम मूसे थाना चवाल जनपद तरणताल, पंजाब।

बरामदगी

1–लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 टेलर ट्रक वाहन आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना अकराबाद

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 14 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 26 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया व 04 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 19.03.2025 को थाना अकराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1–रवि कुमार 2–मुन्ना उर्फ राशिद 3–महेन्द्र 4–हरवेश 5–लालू प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लगभग 14 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 26 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया व 04 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अकराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि कुमार निवासी शिकारपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

2–मुन्ना उर्फ राशिद निवासी बजरिया मोहल्ला पिलखना थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

3–महेन्द्र निवासी लोधी बिहार थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।

4–हरवेश निवासी फरीदाबाद थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस।

5–लालू प्रसाद निवासी शाहगढ थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 14 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 26 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया व 04 दो पहिया वाहन।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मौदहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बृजेश को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना बेलघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना बेलघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–दुर्गविजय 2–जवाहिरलाल 3–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 13–13 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना पिपरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना पिपरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बब्लू उर्फ राधेश्याम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 29 लाख 66 हजार 360 रूपये (बाजारू कीमत 70 लाख 80 हजार रूपये)कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस ने अभियुक्त 1–गौरव 2–सौरभ पुत्रगण विजयपाल सिंह निवासीगण देवसैनी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 29 लाख 66 हजार 360रूपये (बजारू कीमत 70 लाख 80 हजार रूपये) को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

<u>एसटीएफः विभिन्न प्रकार के फर्जी/कूटरचित दस्तावेज (शिक्षा बोर्ड्स व यूनिवर्सिटी आदि की मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन एवं ट्रांसफर सर्टिफिकेट तथा वेरीफिकेशन प्रपत्र) तैयार करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार।</u>

दिनांक 20–11–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को विभिन्न प्रकार के फर्जी/कूटरचित दस्तावेज (शिक्षा बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी आदि की मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं वेरीफिकेशन प्रपत्र) तैयार करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– अल्ताफ राजा पुत्र मोहम्मद सईद हाल पता ई–2/36 गोकुलग्राम योजना नं0 मुन्नूखेडा, थाना– पारा, जिला–लखनऊ मूल निवासी ग्राम गनवरिया, पोस्ट–तुलसीपुर, थाना– तुलसीपुर, जिला–बलरामपुर।

2– कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 अवधेश प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र– 55, पता–569क/205, स्नेह नगर, वी0आई0पी0 मार्ग पेट्रोल पम्प, आलमबाग, लखनऊ।

3– लक्ष्य राठौर पुत्र सुरेश राठौर, पता–प्लाट नं0–16, वेहटा जुडावा मन्दिर श्याम विहार कालोनी फैजुल्लागंज लखनऊ।

बरामदगीः—

1— 51 अदद कूटरचित विभिन्न फर्जी शिक्षा बोर्डस एवं यूनिवर्सिटी आदि की मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन एवं ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं वेरीफिकेशन प्रपत्र।

2— 2 अदद लैपटॉप व 01 अदद चार्जर।

3— 04 अदद मोबाईल फोन।

4— 04 अदद फर्जी मुहर।

5— एक अदद हुंडई वेन्यू कार यूपी 32 पीवी 3159।

6— 01 मोटर साइकिल यूपी 32 ईडी 4635 होंडा सीबीजेड ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः—

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की बाउड्री वाल के पास सर्विस लेन पर स्कूल के गेट के सामने, थाना पारा जनपद लखनऊ। दिनांक 20—03—2025 समय 03:50 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश जनपद लखनऊ में विभिन्न शिक्षा बोर्ड, यूनिवर्सिटी एवं शैक्षिक संस्थानों की फर्जी कूटरचित मार्कशीट, सर्टिफिकेट एवं अन्य प्रपत्र तैयार करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में ठीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मनोज कुमार, मु0आ0 विनोद सिंह, सुनील सिंह, प्रभाकर पाण्डेय, गौरव सिंह, प्रशान्त कुमार सिंह, रणधीर सिंह, अखिलेश कुमार, शेरबहादुर, की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि विभिन्न प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मोहान रोड थाना पारा लखनऊ के पास मौजूद है।

इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अल्ताफ राजा ने पूछताछ पर बताया कि बताया हम लोगों का एक गिरोह है जो विभिन्न प्रकार के फर्जी/कूटरचित दस्तावेज तैयार करता है। वह इसके पहले दिल्ली में डॉ0 एस0पी0 पाण्डेय के साथ मिलकर फर्जी बेबसाइट बनाकर मार्कशीट आदि बनाने का काम करता था। वर्ष–2017 में थाना गीता कालोनी दिल्ली से डा0 एस0पी0 पाण्डेय के साथ गिरफ्तार होकर जेल गया था। वर्ष–2019 में वह तथा लक्ष्य राठौर थाना चाणक्य पुरी दिल्ली में अन्य साथियों के साथ इसी मामले में जेल गये थे। जेल सग छूटने के बाद लखनऊ आकर पुनः यही काम करना शुरू कर दिया। इसके लिये उसने Go Daddy एवं Big Rock पर बेबसाइट बनायी। जिनमें से कुछ डोमेन bhsedelhi.org, bhsenewdelhi.org, bhsedelhiboard.net, technoglobaluniversitymp.org, dsosresults.co.in, riosupresults.org, bujhanshiresults.org,bssbpatnaresults.co.in, himalayanuniversityresults.com, hsebdelhi.org है। इन बेवसाइट पर कूटरचित मार्कशीट का रिजल्ट भी अपलोड कर देता था, जिससे लोग बेबसाइट पर रोल नंबर डालकर रिजल्ट ऑनलाइन चेक करते थे जो वह दस्तावेज (शिक्षा बोर्ड/यूनिर्वसिटी) असली प्रतीत होता था। फर्जी मार्कशीट के आधार पर लोग विभिन्न संस्थानों में नौकरी पा जाते है तो उनका ऑनलाइन/ऑफलाइन वेरीफिकेशन भी कर देता था। फर्जी मार्कशीट व अन्य प्रपत्र आदि बनवाने के लिये 15 से 20 हजार लेता था। जिसे सभी लोग आपस में बांट लेते थे। लोगों को फर्जी दस्तावेज कोरियर के माध्यम से भेजता था। लखनऊ में अब तक लगभग 2 हजार से अधिक विभिन्न प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुका है। अभियुक्त कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त ने बताया कि वह भी फर्जी मार्कशीट के प्रकरण में वर्ष–2009 में थाना विकास नगर से जेल जा चुका है। उसके विरूद्ध धोखाधड़ी एवं गैंगस्टर एक्ट के 02 मुकदमें है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना पारा, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 216/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) एवं 3(5) बीएनएस एवं धारा 66 डी आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः जनपद–आजमगढ़ में हुई लूट की घटना में विगत 09 वर्षो से फरार/वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) से गिरफ्तार।

दिनांक 19–03–2025 को एस0टी0एफ0 को विगत 09 वर्ष पूर्व थाना सरायमीर, जनपद–आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2016 धारा 392, 411 भादवि में वांछित रूपये 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम को थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार उर्फ दारू पुत्र शंकर राम निवासी पण्डित दिलीपराय पट्टी थाना सादात, जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

परसुराम नगर, गौशला गेट के सामने, थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) दिनांक 19–03–2025 समयः 14.50 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना सरायमीर, जनपद–आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2016 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम पंजाब में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी उ0नि0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 मृत्युन्जय सिंह, यषवन्त सिंह, मु0आ0

चालक नागेश मिश्र की टीम द्वारा परसुराम नगर, गौशाला गेट के सामने, थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र तरवॉ अन्तर्गत एक दुकान में लूट के लिए गया था जहॉ पर दुकानदार द्वारा विरोध करने पर उसको गोली मार दिया था, जिसमें बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस घटना के उपरान्त स्थानीय पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद अपने साथी षिवकुमार व दीपक के साथ मिलकर थाना क्षेत्र सरायमीर में एक व्यक्ति से लूट की घटना किया था। उक्त घटना में फरार चल रहा था जिसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़ व जौनपुर में लूट एवं अन्य आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। इसके अन्य अपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार का ज्ञात अपराधिक इतिहास निम्नवत है:–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	48/16	394, 302, 411 भादवि	तरवॉ	आजमगढ़
2	**50/16**	**307, 34 भादवि**	**तरवॉ**	**आजमगढ़**
3	53/16	3/25 आर्म्स एक्ट	तरवॉ	आजमगढ़
4	146/16	394, 411 भादवि	देवगॉव	आजमगढ़
5	206/16	392, 411 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
6	70/17	392 भादवि	चन्दवक	जौनपुर
7	1465/17	174ए भादवि	चन्दवक	जौनपुर
8	7/21	174ए भादवि	सरायमीर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय JMIC जालंधर, पंजाब द्वारा नियमानुसार स्वीकृत ट्रांजिट वारण्ट के माध्यम से जनपद आजमगढ़ लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयो व शिक्षा बोर्ड की फर्जी व कूटरचित अंकतालिका/ शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का 01 सक्रिय सदस्य कमिश्नरेट आगरा से गिरफ्तार।

दिनांकः 19–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयो व शिक्षा बोर्ड की फर्जी व कूटरचित अंकतालिका/प्रमाणपत्र बनाने वाले गिरोह के 01 सक्रिय सदस्य को कमिश्नरेट आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– धनेश मिश्रा पुत्र श्री मुन्नालाल मिश्रा निवासी 51/10जी /15 वेस्ट अर्जुन नगर शाहगंज, कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगीः–

1– 04 अदद लैपटाप मय चार्जर

2– 942 कूटरचित अंकपत्र/प्रमाण पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों के

3– 104 अंकपत्र/प्रमाण पत्र खाली

4– 182 अदद हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका विभिन्न नाम की सभी एक हस्तलेख में लिखी हुई है।

5– 12 अदद उत्तर पुस्तिका विभिन्न सीरियल नम्बर की सभी एक हस्तलेख मे लिखी हुई है।

6– 04 अदद डायरी

7– एक अदद फीस रसीद प्राप्ति बुक

8– एक अदद लेटर पैड (नोड पैड एजूकेशन प्रा0लि0 अंकित है)

9– एक अदद प्रिन्टर

10– 06 अदद खाली लिफाफा जिसमें कोरियर से डाक आती है।

11– 02 अदद एन्ड्राइड/आईफोन मोबाइल

12– एक आधार कार्ड

13– एक विजिटिंग कार्ड

<u>गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान/समय –</u>

दिनांकः–19–03–2025 अजीतनगर गेट के पास 59/81बी , अजीत नगर खेरिया मोड़ थाना क्षेत्र शाहगंज, कमिश्नरेट आगरा।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश व आस पास के राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयो व शिक्षा बोर्ड की फर्जी व कूटरचित अंकतालिका/प्रमाणपत्र बनाकर आम जनता से लाखो रूपयों की ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय होकर कार्य करने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 19–03–2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ लोग हाईस्कूल, इण्टर, डिग्री कालेज व स्नातक, डी0 फार्मा/एमबीए की फर्जी मार्कषीट, बनाकर बेचते हैं, उनमे से एक आदमी अजीतनगर गेट के पास किराये पर दुकान लेकर काम करता है। इस सूचना पर निरीक्षक हुकुम सिंह, उ0नि0 स0पु0 राजपाल सिंह, मु0आरक्षी विमल, मु0आऱक्षी कृष्णवीर सिंह, आरक्षी प्रदीप चौधरी, आरक्षी हरपाल सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा की टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर आवष्यक घेराबन्दी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम धनेष मिश्रा नि0 उपरोक्त बताया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने चार विष्वविद्यालयों जिनमें सुभारती यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, सिक्किम ओपन बोर्ड व सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से एडमीषन कोड (फ्रेन्चाईजी) ले रखी है। इसके अलावा अन्य विष्वविद्यलयों से भी उसने आने वाले अभ्यर्थियों से पैसे लेकर शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाकर व मंगवाकर दे देता है। इस काम में दिल्ली, उ0प्र0 झारखण्ड, बिहार, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, म0प्र0 के कई विश्वविद्यालयों से सेटिंग करके पैसे देकर उनसे शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवा कर दे देता है। जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र नही मिल पाते है, उन्हे वह स्वयं कूटरचित बनाकर दे देता है। इस काम को वह करीब दो साल से कर रहा है। उसके पास जिन विश्वविद्यालयों की फ्रेन्चाईजी है वे सभी ओपन बोर्ड वाली हैं, किन्तु वह

संस्थागत छात्रों के भी शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवा कर व बना कर दे देता है। एमबीए की फीस 1,80,000/– से 2,40,000/–हजार रूपये बीए/बीकाम/बीएससी–की फीस 25,000 से 40,000/–रूपये हाईस्कूल व इण्टरमीडियेट के 15,000 से 25,000/–हजार रूपये लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना शाहगंज, कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0सं0: 118/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा की जायेगी।

————